न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.), शिवगंज जिला–सिरोही

बइजलास श्रीमती शकुंतला, आर0ए0एस0

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोंडेंट
उसमकुंवर पुत्री जयसिंह पत्नी शेरसिंह दहीयावत जाति राजपूत निवासी रामपुरा तहसील व जिला सिरोही		1.नाथूसिंह पुत्र जयसिंह जाति राजपूत निवासी बागसीन 2.नाहरसिंह पुत्र जयसिंह देवल जाति राजपूत निवासी बागसीन 3.छगनकुंवर पुत्री जयसिंह पत्नी भवूतसिंह भाटी हाल निवासी उथमण 4.श्रवणसिंह पुत्र (सुन्दरकुंवर नत्नी शंकरसिंह दहीयावत) जाति राजपूत निवासी रामपुरा तह0 सिरोही 5.विलासकुंवर पत्नी हिरेन्द्रसिंह जी कावावत पुत्री (सुन्दरकुंवर नत्नी शंकरसिंह दहीयावत) जाति राजपूत निवासी वडवज तह0 रेवदर 6.हडमतसिंह पुत्र (अन्तरकुंवर पत्नी मांगसिंह दहीयावत) जाति राजपूत निवासी जोयला 7.विकमसिंह पुत्र (अंतरकुंवर पत्नी मांगसिंह दहीयावत) जाति राजपूत निवासी जोयला 8.लीलाकुंवर पत्नी शैतानसिंह पुत्री (अंतरकुंवर पत्नी मांगसिंह दहीयावत)जाति राजपूत निवासी जोयला 9.छैलकुंवर पत्नी मदनसिंह पुत्री (अंतरकुंवर पत्नी मांगसिंह दहीयावत)जाति राजपूत निवासी लुंदाडा तह0 बाली जिला पाली 10.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शिवगंज जिला सिरोही
विद्वान अधिवक्ता श्री ऋषि माथुर		विद्वान अधिवक्ता श्री महेन्द्रसिंह राव रेस्पो0 सं0 2

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 व राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम

राजस्व अपील संख्यां–02/2022

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

– : निर्णय : – दिनांक 08.05.2024

उपरोक्त अनवान सदर में अपीलाण्ट ने अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 व राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम के तहत विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 651 दिनांक 10.06.1982 निरस्त करने का पेश किया गया, जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मर्यादा अधिनियम का विरूद्ध रेस्पोडेंटगण के इस न्यायालय में हमारे समक्ष पेश किया। अपीलांट उसमकुंवर और रेस्पोडेन्ट संख्या 3 छगन कुंवर के पिता और रेस्पोडेन्ट सं. 4 ता 9 के नाना और रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 2 के पिता स्व. जयसिंह पुत्र तोलसिंह जी जाति राजपूत निवासी बागसीन के खातेदारी वर्षो से काश्त की कृषि भूमि ग्राम बागसीन पटवार हल्का बागसीन के खसरा नंबर 837, 838, 839, 840, 841, 842 कुल रकबा 7.7780 हैक्टेयर भूमि आई हुई स्थित हैं। उक्त कृषि भूमि में अपीलांट उसमकुंवर और रेस्पोडेन्ट संख्या 3 छगन कुंवर के पिता और रेस्पोडेन्ट सं. 4 ता 9 के नाना और रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 2 के पिता स्व. जयसिंह पुत्र तोलसिंह जी जाति राजपूत निवासी बागसीन के नाम से राजस्व रेकर्ड जमावंदी में 1/4 एक चौथाई हिस्से की खातेदारी वर्षो से अंकित चली आ रही हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.09.04 10:55:51 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज– 2

अपीलांट के पिता जयसिंह की मृत्यु होने पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार उनके 1/4 हिस्से की खातेदारी का नामान्तरकरण उनकी पुत्रियों अपीलांट उसमकुंवर, रेस्पोडेन्ट सं. 3 छगनकुंवर, रेस्पोडेन्ट सं. 4 ता 8 की माताएं क्रमशः सुन्दर कुंवर, अन्तर कुंवर और पुत्रगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 2 नाथुसिंह व नाहर सिंह के नाम से संयुक्त रूप से दर्ज करनी चाही थी, लेकिन तत्काल राजस्व कर्मचारियों ने उपरोक्त 1/4 हिस्से की कृषि भूमि का नामान्तरकरण जयसिंह के सभी वारिसान के नाम से संयुक्त रूप से दर्ज नहीं करके विधि विरूद्ध तरीके से रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 2 से मेलमिलाप कर रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 2 के नाम से दर्ज कर दिया हैं, जबकि उपरोक्त 1/4 हिस्से की कृषि भूमि पर कब्जा काश्त और हकअधिकार अपीलांट और रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 8 का संयुक्त रूप से अपने पिता व नाना के जरिये उनके जीवनकाल से लगातार बिना रूकावट और शांतिपूर्वक तरीके से चला आ रहा हैं। सरपंच ग्राम पंचायत बागसीन ने विधिक वारिसानों की जांच किये बगैर नामान्तरकरण संख्या 651 दिनांक 10.06.1982 को ग्राम बागसीन को स्वीकृत करने की आज्ञा प्रदान करने में भारी कानूनी एवं तथ्यों में भूल की हैं। पटवारी बागसीन को यह भलीभांति जानकारी थी कि मृतक जयसिंह के वारिसान रेस्पोडेन्ट सं 1 ता 2 के अलावा भी अन्य कानूनी उत्तराधिकारी हैं फिर भी पटवारी महोदय ने उक्त नामान्तकरण संख्या 651 दायर करने से पूर्व अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिये गये, जिससे अपीलांट के प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का हनन हुआ हैं। इस आधार पर भी नामान्तरकरण संख्या 651 काबिल निरस्त योग्य हैं। वर्तमान में रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 उपरोक्त वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने की फिराक में हैं। अपीलांट उसम कुंवर अपने पिता जयसिंह की मृत्यु के समय नासमझ और नाबालिग थी और विवाह के बाद वह अपने ससुराल चली गई थी, इसी प्रकार से अपीलांट अनपढ होने से नामान्तरकरण प्रक्रियाओं से अनभिज्ञ थी, जिससे अपीलांट इस विश्वास में रही कि उनके पिता की मृत्यु के पश्चात उनका नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हो गया है, लेकिन अपीलांट को पटवारी हल्का द्वारा जमाबंदी नकल लेने पर दिनांक 07.11.2023 को पहली बार जानकारी हुई कि उसका नाम जमाबंदी में दर्ज नहीं हैं। अपीलांट को अपना नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं होने की जानकारी दिनांक 7.11.23 को हुई तो अपीलांट ने संपूर्ण दस्तावेज प्राप्त कर उक्त अपील जानकारी तिथि से अन्दर मयाद प्रस्तुत की हैं। इस आधार पर भी नामान्तरकरण संख्या 651 काबिल निरस्त योग्य हैं।

अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर किए जाकर रेस्पोडेण्ट को सम्मन जारी हुए। रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्रसिंह राव द्वारा दिनांक 28.02.2024 को वकालतनामा पेश किया व जवाब पेश करने हेतु समय चाहा, जो न्यायहित में दिया गया। दिनांक 05.06.2024 को रेसपोडेंट सं0 1 ता 9 को नोटिस तामिल होने व जवाब हेतु समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात भी जवाब नहीं देने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई व दिनांक 24.07.2024 को अपीलांट अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

हमनें पत्रावली का अवलोकन, संलग्न दस्तावेज एवं विद्वान अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस पर मनन किया, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अपीलांट अनपढ होने तथा कानूनी व नामान्तरकरण प्रक्रियाओं से अनभिज्ञ थी जिससे अपीलान्ट इस विश्वास में रही कि उक्त आराजी में अपीलाण्ट के पिता की मृत्यु के पश्चात् उनका नाम राजस्व रेकर्ड में हिस्से अनुसार दर्ज हुआ होगा परन्तु अपीलान्ट को प्रथम बार पटवार कार्यालय बागसीन से नामान्तरकरण पंजिका की नकल दिनांक 07.11.2023 को प्राप्त हुई तब इसकी जानकारी हुई कि उसका नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है कि अपीलान्ट का नाम उक्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है एवं केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 2 का ही नाम दर्ज है। अपीलान्ट को अपना नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज न होने की जानकारी दिनांक 07.11.2023 को होने से अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.09.04 10:55:51 IST
Reason: SelfAttested

अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम व अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट को स्वीकार किया जाकर सरपंच ग्राम पंचायत बागसीन द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 651 दिनाक 10.06.1982 में बिना किसी जांच एवं दस्तावेजी साक्ष्य तथा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किये जाने से उक्त नामान्तरकरण संख्या 651 आदेश दिनांक 10.06.1982 को अपास्त किया जाता है। अतः प्रकरण तहसीलदार शिवगंज को रिमांड किया जाता है कि गुणावगुण के आधार पर विधिक वारिसान की जांच कर एक माह के भीतर नामान्तरकरण संबंधी कार्यवाही का निस्तारण आवश्यक रूप से करें। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

यह निर्णय आज दिनांक 24.07.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया ।

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

दिनांक 24.07.2024

क्रमांक/कोर्ट/2024/426

प्रतिलिपिः–

तहसीलदार शिवगंज को पालना कर रिपोर्ट भिजवाने हेतु प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.09.04 10:55:51 IST
Reason: SelfAttested